

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि का अर्जन और निस्तारण) नियमावली, 1969

सं० 997-क/37-16(9) 12-66, दिनांक 18 नवम्बर, 1969,  
उत्तर प्रदेश गजट भाग 1 (क) में दिनांक 29 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966) की धारा 56 के साथ पठित धारा 94 को उपधारा (2) के खण्ड (घ), (न) और (ण) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल भूमि अर्जित और निस्तारित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

**1- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि का अर्जन और निस्तारण) नियमावली, 1969 कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2- परिभाषा.**— विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस नियमावली में—

(1) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 से है।

(2) “परिषद्” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।

**3- शर्तें और परिक्रसीमायें.**— (1) परिषद् किसी व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अपने द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी स्वत्व को खरीदने, पट्टे पर देने अथवा उसका विनियम करने के लिये अनुबंध कर सकती है। प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसी भूमि या स्वत्व का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक हो तो राज्य सरकार का पुर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(2) परिषद् प्रत्येक मामले में भूमि के अर्जन या स्वत्व के मूल्य का अनुमान तैयार करायेगी और सम्बद्ध पक्ष के हक का जाँच करायेगी।

(3) यदि परिषद् द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित मूल्य भूमि के अर्जन या उसमें किसी स्वत्व के अनुमानित मूल्य से अधिक हो जाए तो परिषद् उनके कारणों को अभिलिखित करेगी।

(4) जब कभी राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव उपनियम (9) के प्रति प्रतिबन्धात्मक खंड के अर्थों में उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो परिषद् पूरे विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उपर्युक्त उपनियम (2) और (3) में अभिदिष्ट विवरण भी है। परिषद् ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, अपने में निहित अथवा अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि का प्रतिधारण कर सकती है, या उसको बेच सकती है, उसका विनियम कर सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा अन्यथा उसका निस्तारण कर सकती है।

(1) भवन निर्माण के लिये भूमि पट्टे पर दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विशेषा परिस्थितियों में भूमि राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से बेची जा सकती है।

(2) भवन निर्माण के लिये भूमि, प्रीमियम की नीलामी करके या प्रीमियम की पूर्व निश्चित दर पर दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि का प्रीमियम जो वाणिज्य प्रयोग के लिये हो, नीलाम किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी भी दशा में वार्षिक किराया उस क्षेत्र में उसी प्रकार की भूमि के लिये प्रचलित वार्षिक किराया होगा, और प्रतिबन्ध यह भी है कि उन पट्टों पर जो दानोत्तर तथा शिक्षा के प्रयोजनों के लिये हों, कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जायेगा।

(3) (क) उपनियम (2) के अधीन दी गयी पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसके साथ 30-30 वर्ष की दो अग्रेतर अवधि के लिये उसका नवीकरण कराने का अधिकार होगा और नवीकरण प्रत्येक ऐसे नवीकरण के समय 50 प्रतिशत से अनधिक किराया बढ़ाये जाने के अधीन रहते हुए होगा।

(ख) कोई भी शाश्वत पट्टा नहीं दिया जायेगा।

(4) (क) परिषद् किसी योजना में विशिष्ट श्रेणियों या वर्गों के व्यक्तियों को प्रदिष्ट किये जाने के लिये अनेक निवास स्थान सम्बन्धी प्लाटों को पूर्व निश्चित दरों पर पृथक रक्षित कर सकती है।